

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03.02.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी वारंते तलब करने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जिस पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की मौजा मोकलसर तहसील सिवाना अवस्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1833/626 रकबा 01.1339 हैक्टेंयर से लगती खसरा संख्या 1808/625 रकबा 06.6 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का वक्त बन्दोस्त से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अपने कब्जे के आधार पर प्रार्थी नियमित रूप से जुर्माना अदा करते आ रहे हैं। अतः वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की जावे ताकि अदालत को न्याय करने में सुविधा हो। जबकि विप्रार्थी की बहस है कि प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा करने पर उसे नियमानुसार धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत बेदखल किया गया है। विवादित भूमि जिस पर प्रार्थीगण ने दावेदारी की है, सरकारी है और उसकी किस्म गैरमुमकिन पहाड़ है। मौका रिपोर्ट तलबी के बहाने प्रार्थी अपने हक में सबूत क्रियेट करना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। हमने दोनों पक्षों की मौका रिपोर्ट तलबी संबंधी प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी का यह दायित्व है कि वह अपनी दावेदारी को ठोस साक्ष्य के जरिये साबित करे। न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का आशय है, प्रार्थीगण के पक्ष में साक्ष्य जुटाना। ऐसी सूरत में, जबकि प्रकरण अन्तिम स्टेज पर हैं, अदालत मौका रिपोर्ट तलब किया जाना उचित नहीं समझती है। लिहाजा उक्त प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। अन्तिम बहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की बहस है कि विवादित भूमि उनकी खातेदारी भूमि से लगती हुई है, जिस पर विगत 30 वर्षों से लगातार पहले उनके पूर्व पुरुषों का एवं बाद में उनका कब्जा चला आ रहा है। विप्रार्थी उन्हें बेदखल करने पर उतारू है, यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये, तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी और उनका वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। अतः विवादित भूमि के संबंध में अदालत द्वारा दिनांक 07.06.2019 को जारी अन्तरिम स्थगन ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जावे। इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस है कि प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कभी भी नियमित कब्जा नहीं रहा है। यदा कदा अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा करने पर उसे 91 आरएलआर एक्ट के तहत कार्रवाही कर बेदखल किया जाता रहा है। उक्त भूमि सरकारी होने एवं किस्म गैरमुमकिन पहाड़ होने से प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते। प्रार्थीगण ने अपनी दावेदारी का मुख्य आधार विवादित भूमि अपनी खातेदारी से लगती हुई होने को बनाया, जो अपने आप में हास्यास्पद है। अतः प्रकरण में जारी अन्तरिम स्थगन निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने विवादित भूमि पर विगत 30 वर्षों निरन्तर कब्जा होने का कथन किया है, किन्तु प्रस्तुत दस्तावेज खसरा परिवर्तनशील के अनुसार प्रार्थीगण के पिता ने विवादित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा किया था इसके अतिरिक्त</p>	

सहायक क्लर्क  
(S.D.O.) सिवाना



2 वर्षों की जुर्माना वसूली की रसीदें प्रस्तुत की हैं, उक्त दस्तावेज उनके विवादित भूमि पर यदा कदा अतिक्रमी की तरह काबिज होने की ताइद करते हैं, किन्तु प्रस्तुत साक्ष्य से विवादित भूमि पर उनका नियमित कब्जा साबित नहीं होता है। भूमि सरकारी होने न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में हैं और न सुविधा का संतुलन ही।

यद्यपि प्रार्थीगण के हकों का निर्धारण वाद की नियमित सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पारित निर्णय से होगा, किन्तु वर्तमान स्पर पर प्रार्थीगण ने ऐसे कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिनके आधार पर उनके पक्ष में स्थगन जारी रखा जा सके।

यद्यपि विप्रार्थी ने प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, तथापि कोई भी दावा प्रतिदावेदार की विकलांगता पर स्टैण्ड नहीं हो सकता, उसे साक्ष्य पुष्ट करने का दायित्व दावेदार पक्ष का होता है, जिसमें प्रार्थीगण विफल रहे हैं।

लिहाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 07.06.2019 निरस्त किया जाकर आवेदन खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

  
सहायक कमिश्नर  
(S.D.O.) सिवाना